न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-75/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

बनमाली मुण्डा वगैरह बनाम रोहित सामन्त

14.12.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – 1.बनमाली मुण्डा 2.नरसिंह मुण्डा दोनो के पिता–स्व० प्रधान मुण्डा, ग्राम–वीरगाँव, पो०–सारजमडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती–बारी।

क्रेता का नाम एवं पता – रोहित सामन्त पिता–श्री सुखराम सिंह मुण्डा, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–06/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता रोहित सामन्त पिता–श्री सुखराम सिंह मुण्डा, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
वीरगाँव	तमाड़/198	184	2339	1.12 ए० मध्ये 0.25 ए० चौहद्दी:– उ०–शाखा नहर। द०–एन०एच० 33 सड़क। पू०–श्यामलाल मुण्डा। प०–घनश्याम मुण्डा।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–719(ii) दिनांक–13/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत बालक मुण्डा वगैरह, छोटो मुण्डा, जाति मुण्डा, खेवट सं०–3 के नाम दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत छोटो मुण्डा पिता–लुकिन मुण्डा का पोता है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम घासीया मुण्डा पिता–सोवरण मुण्डा, खाता सं० 184, कुल रकबा–61.72 ए० भूमि दर्ज है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी (टाड़ तीन) किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रह जाएगा है।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को अपनी अपनी लड़की की शादी खर्च वास्ते बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो मुण्डा जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता 1.बनमाली मुण्डा 2.नरसिंह मुण्डा दोनो के पिता–स्व० प्रधान मुण्डा, ग्राम–वीरगाँव, पो०–सारजमडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्ड़ा, पेशा–खेती–बारी, को क्रेता रोहित सामन्त पिता–श्री सुखराम सिंह मुण्डा, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–06/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.बनमाली मुण्डा 2.नरसिंह मुण्डा दोनो के पिता–स्व० प्रधान मुण्डा, ग्राम–वीरगाँव, पो०–सारजमडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती–बारी, को क्रेता रोहित सामन्त पिता–श्री सुखराम सिंह मुण्डा, ग्राम–नुरीडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत

दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
वीरगाँव	तमाड़/198	184	2339	1.12 ए० मध्ये 0.25 ए० चौहद्दीः– उ०–शाखा नहर। द०–एन०एच० 33 सड़क। पू०–श्यामलाल मुण्डा। प०–घनश्याम मुण्डा।

लेखापित एवं संशोधित।

8-14/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।

8-14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।